प्रेस विज्ञप्ति

21.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के मामले में 66.77 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री भूमि और भवन और मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों के 02 आवासीय घर शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों अर्थात् अनिल कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर कुमार और राजिंदर कुमार, स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र के पुत्रों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह जांच तत्कालीन डीजीएम, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, भारतीय स्टेट बैंक, लुधियाना, पंजाब द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की गई।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। हालाँकि, धनराशि को फर्जी/छद्म संस्थाओं और बैंकों के संघ के बाहर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया। इसके अलावा, ऋण राशि को ऋण खातों से सीधे नकद निकासी के माध्यम से भी गबन किया गया। मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री इकाई से मशीनों के पुर्जे भी बैंकों की जानकारी के बिना चुपके से निकालकर बेच दिए गए।

आगे की जाँच जारी है।